

राजस्थान -सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
दिनांक-  
क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/एएचडब्ल्यू-161/2019/

संशोधन आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 223 दिनांक 20.02.2018 द्वारा जारी आदेश में एस.बी.सिविल रिट पिटौशन संख्या 22084/2017 श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नि स्व.श्री भवन सिंह कुहाड,नर्स-2(एएचडब्ल्यू) बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.12.17 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.12.17 को एतद् द्वारा निस्तारित किया गया था में याचिकाकर्ता के नाम में आंशिक संशोधन करते हुये श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नि स्व.श्री भवन सिंह कुहाड के स्थान पर श्रीमती निर्मला देवी पत्नि स्व.श्री भवन सिंह कुहाड,पढा जावे। शेष यथावत्।

—sd—  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्स-2/एएचडब्ल्यू-161/2019/181  
प्रतिलिपि सूचनाथं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 07/02/19

1. उप विधि परामर्शी,मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,नागौर को प्रेषित कर लेख है कि स्व.श्री भवन सिंह कुहाड,नर्स-2 (एएचडब्ल्यू) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.17 की पालना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विशागीय बेसराईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।